न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/227/2022	2022/369	25.08.2022	06.02.2023

1. कुन्दन पुत्र हीरा जाति अहीर निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. महासिंह पुत्र जयदयाल
2. पतराम पुत्र जयदयाल
3. नारायण पुत्र जयदयाल
4. बाबूलाल पुत्र जयदयाल
5. इन्द्राज पुत्र जयदयाल
6. ग्यारसी पुत्री जयदयाल
7. सुनीता पुत्री जयदयाल
8. लोकराम पुत्र फूलसिंह
9. सोमवती पुत्री फूलसिंह
10. अनारो देवी पत्नी टोडाराम
11. प्रदीप पुत्र टोड़ाराम
12. अनिल पुत्री टोडाराम
13. सन्तोष बेवा सत्यनारायण
14. कृष्ण पुत्र सत्यनारायण
15. तन्नू पुत्री सत्यनारायण जाति अहीर निवासीयान ग्राम कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।
16. उपपंजीयक बहरोड़ जिला अलवर राज0।
17. तहसीलदार बहरोड़ जिला अलवर राज0।
18. उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर।

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री जनार्दन शर्मा —वकील प्रार्थी

02. श्री अनिल गुप्ता —वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी बानसूर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी कुन्दन बनाम महासिंह वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय—पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पूर्व में न्यायालय के आदेश से पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को मुंतकिल की गयी थी। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ का स्थानांतरण हो चुका है। प्रार्थी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ का निवासी है। जो लगभग 85 साल का वृद्ध व्यक्ति है। जिसको ज्यादा दूर चलने व सफर करने में परेशानी होती है। बानसूर काफी दूर है जिसके लिए दो बस बदलनी पडती है। इसलिए उक्त पत्रावली को वापस बहरोड़ मुंतकिल किया जाना न्यायहित में होगा। पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण द्वारा राजनितिक दबाव बना रखा है। तकासमा का दावा है। कुर्रेरिपोर्ट तैयार होकर न्यायालय में पेश हो चुकी है। अप्रार्थीगण मुकदमें में तकासमा नहीं होने देना चाहते है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को ऐलानिया तौर पर धमकी देते है। जिस

जिला कलक्टर, अलवर

कारण न्यायहित में उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी वहरोड़ में मुंतकिल किया जाना अतिआवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जवाव/वहस में निवेदन किया कि पूर्व में न्यायालय के आदेश से उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी वानसूर को मुंतकिल की गयी थी। बहरोड़ न्यायालय में कुर्रेजात रिपोर्ट गलत प्रकार से पेश की गयी। जिस कारण अप्रार्थी सं0 1 द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बानसूर के आदेश के खिलाफ कुर्रेजात रिपोर्ट राजनितिक दवाव में पेश की गयी है। प्रार्थी एक स्वस्थ्य नागरिक है। जानबूझकर प्रकरण में देरी की नियत से बानसूर में विचाराधीन उक्त वाद को वापस बहरोड़ न्यायालय में मुंतकिल कराना चाहता है। क्योंकि प्रार्थी की वहरोड़ में राजनितिक पहूंच है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को कोई धमकी दी गयी और ना ही कोई भय उत्पन्न किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ व नीमराना के अलावा अन्य किसी भी न्यायालय में मुंतकिल कर दिया जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी का कथन गलत व निराधार है। प्रार्थी का उद्देश्य पेश वाद को मात्र मुंतकिल करवाना है। प्रस्तुत प्रकरण पूर्व में उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से इस न्यायालय में मुंतकिल होकर प्राप्त हुआ है। प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद को उपखण्ड अधिकारी बहरोड़/नीमराना के अलावा किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। अवलोकन अनुसार मूल वाद पूर्व में उपखण्ड अधिकारी बहरोड के न्यायालय से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को मुंतकिल किया गया था। प्रथमदृष्ट्या न्यायहित में प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विद्वान अभिभाषकों की बहस के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बानसूर में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी कुन्दन बनाम महासिंह वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बानसूर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ एवं उपखण्ड अधिकारी बानसूर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)